

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 10/11/2014

कमांक एफ 01-26/2013/दो-ए(3) :: भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम-2000 के नियम 10(5) तथा नियम 15(4) में अंकित प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन एतद्वारा सामाजिक संस्थाओं, राजनैतिक पार्टियों, प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्तियों, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों तथा पत्रकारों के शासकीय आवास आवंटन संबंधी मामलों पर विचार करने तथा निर्णय लेने के उद्देश्य से निम्नानुसार उच्च स्तरीय समिति का गठन करता है:-

- | | | | |
|----|--|---|------------------|
| 1. | माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन | - | अध्यक्ष |
| 2. | माननीय गृह मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन | - | सदस्य |
| 3. | माननीय जनसम्पर्क मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन | - | सदस्य |
| 4. | प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग | - | सदस्य |
| 5. | आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क
(केवल प्रेस पूल के मामलों में) | - | सहयोजित
सदस्य |
| 6. | अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, (आवास आवंटन)
गृह विभाग | - | सचिव |

2- उच्च स्तरीय समिति की बैठक आवश्यकता होने पर अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव द्वारा आह्वित की जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

10-11-14

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग

.....2

पृ0कमांक एफ 01-26/2013/दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 10/11/2014

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
 2. प्रमुख सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
 3. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, भोपाल,
 5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 6. विशेष सहायक, मंत्री, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन,
 7. विशेष सहायक, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग,
 8. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल,
 9. संचालक, संपदा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग